भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1243
दिनांक 13 **फरवरी**, 2023

जैव ईंधन बेचने वाले पेट्रोल पंप

1243 **श्री कार्तिकेय शर्मा**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में जैव ईंधन बेचने वाले पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या निकट भविष्य में ऐसे पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में जेट्रोफा फसल के वर्तमान उत्पादन की कुल मात्रा कितनी है और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड.) क्या जैव ईंधन के उत्पादन के लिए जेट्रोफा फसल का कोई विकल्प है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) 'जैव ईंधन' नवीकरणीय संसाधनों से उत्पादित ईंधन है और इनका प्रयोग परिवहन, स्टेशनरी, पोर्टेबल तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा अन्य जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर अथवा इन्हें मिश्रित करके किया जाता है। इनमें एथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) आदि शामिल हैं।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री हरियाणा सहित पूरे देश में की जाती है। इसके अलावा, आज की स्थिति के अनुसार हरियाणा में तीन खुदरा बिक्री केंद्र (आरओज) जैव ईंधनों [संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी)] की बिक्री करते हैं।

(ख) और (ग): पूरे देश में खुदरा बिक्री केंद्रों का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है ताकि परिवहन ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा सरकार ने दिनांक 08 नवंबर, 2019 के संकल्प द्वारा परिवहन ईंधनों के विपणनों हेतु प्राधिकार प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। प्राधिकृत कंपनियों द्वारा अपने प्रस्तावित खुदरा बिक्री केंद्रों पर उक्त बिक्री केंद्र के प्रचालन के तीन वर्षों के भीतर जैव ईंधन सहित कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन का विपणन करने के लिए सुविधाएं स्थापित करना अपेक्षित हैं बशर्ते कंपनी विभिन्न अन्य सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हो।

(घ) सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के अनुमानों के अनुसार भारत वृक्ष जनित तिलहन (टीबीओज), जिसमें जट्रोफा शामिल है, से जैव डीजल के विनिर्माण सहित औद्योगिक उपयोगों के लिए 11-15 लाख टन गैर खाद्य तेल का उत्पादन कर सकता है। वनस्पति तेलों की उपलब्धता बढ़ाने और तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर तथा जट्रोफा सहित तेल पाम और टीबीओज का क्षेत्र बढ़ाकर खाद्य तेलों का आयात कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 से सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन और तेल पाम (एनएफएसएम-ओएसएंडओपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनएफएसएम-टीबीओज को वर्ष 2022-23 के दौरान आठ राज्यों में राज्य कृषि/बागवानी विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में जट्रोफा सहित गैर खाद्य तिलहनों के पौधरोपण हेतु बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायतों/तालुकों को प्रोत्साहित किया गया है।

(ड.) जट्रोफा को 'गैर खाद्य तिलहन' के तहत वर्गीकृत किया गया है और यह जैव डीजल के उत्पादन हेतु संभावित घरेलू कच्चा माल है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 और दिनांक 15 जून, 2022 को इसके बाद के संशोधन के अनुसार देश में जैव ईंधन (जैव डीजल) का उत्पादन करने के लिए जट्रोफा के संभावित विकल्प गैर खाद्य तिलहन, प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ), पशुओं की चरबी, अ ल तेल तथा कम समय में तैयार होने वाली गैर खाद्य तेल युक्त फसलें और शैवाल युक्त फीड स्टाक आदि हैं।

****